उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

दिनॉक– 24-2-16

संदर्भ संख्या F-74275 सी–2/ 201 /वायु प्रदूषण/2016

सेवा में,

मैसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लि0
(रेनुसागर पावर डिवीजन)
रेनूकूट, सागर
जनपद– सोनभद्र।

थर्मल पावर प्लाण्ट– 840 M.W. उत्पादन हेतु मान्य

विषय :वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सहमति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक शून्य का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपका सशर्त सहमति आदेश संख्या /सी–2/201/445 सहमति (वायु) आदेश/2015 दिनांक 29/2/16 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान निम्नलिखित बिन्दुओं पर आकर्षित किया जाता है।

1. सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिए गए विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2. फ्लू गैस प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

3. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था जैसे ई0एस0पी0, चिमनी का प्राविधान, संचालन एवम् रख रखाव इस प्रकार किया जाये, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।

4. इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषणकारी व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता संबंधी आख्या एवम् अपने उद्योग का ले–आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

5. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।

6. उचित मात्रा में वृक्षा रोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।

..2/–

HINDALCO INDUSTRIES LTD. RENUKOOT

16/2/18

7. यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवम् वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।
8. आपके उद्योग की आडिट हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति+वर्तमान सम्पत्ति–वर्तमान देनदारियों) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जॉच की जा सके।
9. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस संबंध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
10. उद्योग का पर्यावरणीय वक्तव्य निर्धारित समय अवधि में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
11. राख के निस्तारण हेतु समुचित व्यवस्था गाईडलाइन के अनुसार की जाए। ड्राई ऐश को सीमेंट उद्योग में भेजा जाए तथा ऐष डाइक से निकली ऐश की नियमानुसार लैण्ड फिल की जाए।
12. कोल हैण्डलिंग ट्रांसपोर्टेशन आदि स्थलों पर डस्ट सेपरेशन/क्लैक्शन सिस्टम का इस प्रकार संचालन सुनिष्चित किया जाए कि आस–पास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की संभावना न रहे।
13. इकाई द्वारा नियमानुसार 33 प्रतिशत भूभाग पर हरित पट्टिका का विकास किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
14. Industry shall operate and maintain online continuous stack emission monitoring system for the parameter PM, Nox, SO2 and connect to server of UPPCB/CPCB to send data.
15. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित कोर कमेटी द्वारा दी गयी संस्तुतियों तथा सिंगरौली एक्शन प्लान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

इस सहमति आदेश के अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी /सभी शर्तो में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निर्गत

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

(एस0 सी0 यादव)

सदस्य सचिव

संदर्भ संख्या– /वायु प्रदूषण/ तद्दिनॉक–

प्रतिलिपि :–

1- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

सदस्य सचिव

HINDALCO INDUSTRIES LTD. ★ RENUKOOT

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या : 901 /सी–2/ 445 /सहमति (वायु) आदेश/2016 लखनऊ, दिनॉक– 23/2/16

विषय : सहमति **मै0 हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लि0 (रेनुसागर पावर डिवीजन), रेनूकूट, नगर, जनपद– सोनभद्र।** को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथासंशोधित) की धारा–21/22 के अन्तर्गत ।

(राजेन्द्र सिंह)
पर्यावरण अभियन्ता वृत्त-7

संदर्भ : आवेदन संख्या– शून्य दिनॉक : 26.11.2015

1- वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र **मैसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लि0 (रेनुसागर पावर डिवीजन), रेनूकूट, नगर, जनपद– सोनभद्र।** को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तो के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2- यह सहमति दिनॉक 01.01.2016 से 31.12.2017 की अवधि तक मान्य है।

3- इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ वायु (प्रदूषण निवारणं तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत ।

सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निर्गत

(एस0 सी0 यादव)
सदस्य सचिव

अनुलग्नक : संलग्नक ।
(सहमति शर्ते)

HINDALCO INDUSTRIES LTD. ★ RENUKOOT ★

---2/-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या–............................/ सहमति(वायु) / आदेश / ....दिनॉक.........................

सहमति शर्ते

1. फ्लू गैस की प्रतिघण्टा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नही होना चाहिए ।

वायु प्रदूषण का स्रोत	ईंधन	प्रदुषण नियंत्रण व्यवस्था
(i) ब्वायलर 1 व 2	कोयला	100 मीटर भूतल से व ई0एस0पी0
(ii) ब्वायलर 3 व 4	कोयला	100 मीटर भूतल से व ई0एस0पी0
(iii) ब्वायलर (अतिरिक्त)	कोयला	100 मीटर भूतल से व ई0एस0पी0
(iv) ब्वायलर 5	कोयला	100 मीटर भूतल से व ई0एस0पी0
(v) ब्वायलर 6 व 7	कोयला	110 मीटर भूतल से व ई0एस0पी0
(vi) ब्वायलर 8	कोयला	110 मीटर भूतल से व ई0एस0पी0
(vii) ब्वायलर 9 व 10	कोयला	130 मीटर भूतल से व ई0एस0पी0

2. वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरुप हो ।

(i)	सस्पैन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (एस0पी0एम0)	150 मिलीग्राम प्रतिनार्मल मीटर क्यूबिक मीटर
(ii)	मैटल डस्ट (आयरन, जिंक, कॉपर आदि)	–
(iii)	हाईड्रोजन, सल्फर ट्राई आक्साइड सल्फेड मिस्ट	–
(iv)	सल्फर डाई आक्साइड	(पी0सी0एम0)
(v)	कार्बन मोनो आक्साइड	–
(vi)	हाइड्रोकार्बन	–
(vii)	अमोनिया	–
(viii)	फ्लोरीन	–
(ix)	मरकैप्टेन	–

3. समय–समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरुप हो।

---3/-

HINDALCO INDUSTRIES LTD. ★ RENUKOOT ★

4- बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवम् अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।

5- बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवम् अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।

6- बिन्दु–4, 5 एवम् 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में, इकाई में रखा जाये।

7- इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।

8- सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनॉक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रह उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पर्ण व्यवस्था की जाये। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाय एवम् इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।

9- (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तो का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस संबंध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के माह के भीतर प्रस्तुत किया जाये।

(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तो का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।

10- किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों सदर्भित धारा–29 के अधिक होता है या होने की संभावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा–29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) धारा, 1983 में वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।

11- इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।

12- इकाई का रख–रखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नही होना चाहिए।

13- इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किये जाने से संबंध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।

---4/-

HINDALCO INDUSTRIES LTD. RENUKOOT

14- इकाई से आबादी, कृषक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।

15- आवेदन कर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तो का अनुपालन संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता /इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

16- उपरोक्त इंगित समस्त शर्ते अधिनियम की धारा–21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किये जाने तक वैद्य रहेगी।

17- आवेदन कर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवम् प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।

18- बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जाए।

19- आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवम् प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित हो, उपलब्ध करानी होगी।

20- इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।

21- इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 ;6द्ध में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

(एस0 सी0 यादव)
सदस्य सचिव

HINDALCO INDUSTRIES LTD. ★ RENUKOOT ★